भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *168

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

जल शक्ति अभियान (जेएसए) के अंतर्गत अतिदोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर (ओसीएस) जिले

***168. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जल शक्ति अभियान (जेएसए) के आरंभ से इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों, विशेषकर पंजाब को आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2025 के दौरान जल शक्ति अभियान के अंतर्गत पंजाब में पहचान किए गए अतिदोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर (ओसीएस) जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जेएसए के अंतर्गत पंजाब में इन ओसीएस जिलों के लिए प्रस्तावित और पूरी की गई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब, यदि कोई हुआ है, की जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटील)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'जल शक्ति अभियान (जेएसए) के अंतर्गत अतिदोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर (ओसीएस) जिले' के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *168 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): 'जल' के राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों की वृद्धि, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कदम उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसे प्रतिवर्ष लागू किया जाता है, इसका उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पर बल देना है। यह अभियान केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), पर ड्रॉप मोर क्रॉप, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान आदि से अभिसरण वित्तपोषण पर बल देता है।

जेएसए: सीटीआर पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021-2025 के दौरान, देश भर में जल शक्ति अभियान के तहत 118080.42 करोड़ रुपये की कुल निधि का उपयोग किया गया, जिसमें जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए 43408.77 करोड़ रुपये, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण के लिए 19725.95 करोड़ रुपये, पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं के लिए 1992.56 करोड़ रुपये, वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए 38016.79 करोड़ रुपये और गहन वनीकरण के लिए 14936.35 करोड़ रुपये शामिल हैं।

जेएसए: सीटीआर पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पंजाब के लिए वर्ष 2021-2025 की अवधि के दौरान जल शक्ति अभियान के तहत कुल 1,186.06 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। इस व्यय में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए 85.02 करोड़ रुपये, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण के लिए 417.96 करोड़ रुपये, पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं के लिए 7.19 करोड़ रुपये, वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए 337.49 करोड़ रुपये और गहन वनीकरण के लिए 338.40 करोड़ रुपये शामिल हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, जल निकायों की भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मैपिंग और वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान जेएसए: सीटीआर के तहत जिला जल संरक्षण योजनाओं के लिए पंजाब को कुल 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई।

(ख): जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में जेएसए: सीटीआर 2025 का शुभारंभ "जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर" थीम के साथ किया, जिसमें सीजीडब्ल्यूबी द्वारा गिरते जल

स्तर, भौगोलिक वितरण और आकांक्षी जिलों के आधार पर चिन्हित किये गए 148 जिलों पर विशेष बल दिया गया। जेएसए: सीटीआर 2025 अभियान के लिए पंजाब के 20 मुख्य जिलों की सूची **अनुलग्नक** में संलग्न है।

(ग): जल राज्य का एक विषय है और केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सपूरित करती है। जेएसए: सीटीआर का छठा संस्करण 22 मार्च 2025 को "जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर" थीम के साथ शुरू किया गया, जिसमें जमीनी स्तर पर गहन जुड़ाव, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण और नवीन वित्तपोषण तंत्र पर बल दिया गया। जेएसए: सीटीआर-2025 के तहत, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने गहन निगरानी के लिए 148 जल-की कमी वाले जिलों की पहचान की है। मानसून से पहले और बाद में, प्रत्येक जिले में विजिट हेतु केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी जल शक्ति अभियान के कार्यकलापों की प्रगति का आकलन करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(घ) और (ङ): जल राज्य का एक विषय है और केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करती है। जेएसए: सीटीआर अभियान के अंतर्गत, राज्य सरकारों को यथासंभव अधिक से अधिक कार्य हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अभियान के अंतर्गत कार्यों की निगरानी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार की जाती है।

जेएसए: सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 26 जुलाई 2025 तक, जेएसए: सीटीआर अभियान के तहत देश भर में 1.87 करोड़ से अधिक जल-संबंधी कार्य किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर में 712 जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं और देश भर के 637 जिलों द्वारा जिला जल संरक्षण योजनाएँ तैयार की गई हैं।

जेएसए: सीटीआर पोर्टल पर पंजाब के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जल शक्ति अभियान के तहत पिछले पाँच वर्षों में, पाँच प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्रों बल देते हुए लगभग 1.09 लाख जल-संबंधी कार्य किए गए हैं। राज्य के सभी 23 जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के तहत, पंजाब के सभी 23 जिलों ने अपनी-अपनी जल संरक्षण योजनाएँ तैयार की हैं।

*****

अनुलग्नक

'जल शक्ति अभियान (जेएसए) के अंतर्गत अतिदोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर (ओसीएस) जिले' के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *168 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र. सं.	पंजाब के केन्द्रित जिलों के नाम	श्रेणी
1	अमृतसर	अति-दोहित
2	बरनाला	अति-दोहित
3	भटिंडा	अति-दोहित
4	फरीदकोट	अति-दोहित
5	फतेहगढ़ साहिब	अति-दोहित
6	फिरोजपुर	अति-दोहित
7	गुरदासपुर	अति-दोहित
8	होशियारपुर	अति-दोहित
9	जालंधर	अति-दोहित
10	कपूरथला	अति-दोहित
11	लुधियाना	अति-दोहित
12	मलेरकोटला	अति-दोहित
13	मानसा	अति-दोहित
14	मोगा	अति-दोहित
15	पटियाला	अति-दोहित
16	मोहाली	अति-दोहित
17	नवांशहर	अति-दोहित
18	संगरूर	अति-दोहित
19	तरनतारन	अति-दोहित
20	रोपड़	गंभीर

*****